फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक शाहपुरा

रामेश्वर बनाम वेदस्वरूप (वेदप्रकाश)

प्रार्थना पत्र 7.1 /20

मुकदमा संख्या/वर्ष 62/24

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	27/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। जवाब एवं बहस प्रा०पत्र 08 R9, 151 CPC एवं बहस प्रा०पत्र (7.1) हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 5/12/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज	
	5/12/24	अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ...... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 18/12/24 को पेश हो। (रीडर)	
	18/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई। आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर सि. हो एवं मूल वाद के सम्मिलित हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

फर्द अहकाम

ACM (PT) Shahpura = Jaipur

रेशमा आदि बनाम हिमांशु वगैरह

संख्या /वर्ष 65/2024 : ________ /20 धारा-53,188

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वादी के वकील ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया। कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज रजिस्टर से कम हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमन चौधरी , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 65 / 2024

जीसीएमएस संख्या :— 2024 / 157

उनवान

1. रेणुका यादव पुत्री कैलाश चन्द जाति अहीर निवासी हाल कानपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर, राज0।

— वादीया

बनाम

1. दिनेश पुत्र गैन्दालाल जाति ब्राह्मण निवासी म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. गंगादेवी पत्नी गैन्दालाल जाति ब्राह्मण निवासी म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा, जिा जयपुर, राज0।
3. विष्णु
4. अजय
5. विजय
6. राजेन्द्र
7. अरूण

} पुत्रान रामानन्द पुत्र गैन्दालाल

8. अनिता
9. रेणु
10. नगेन्द्रा
11. कमला

} पुत्रीयान रामानन्द पुत्र गैन्दालाल

12. अनिरूद्ध
13. शलुबन
14. चितरंजन

} पुत्रान महेश

15. राधा
16. सरिता
17. अन्तिमा
18. लक्ष्मी

} पुत्रीयान महेश पुत्र गैन्दालाल

19. सीतादेवी पत्नी महेश

सहायक कलक्टर

२०. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल जाति ब्राह्मण निवासी म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज०।

२१. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज०।

२२. उपपंजीयक अफसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज०।

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :—

१. श्री राजेन्द्र यादव, वादीया की ओर से

<u>वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट</u>

निर्णय दिनांक :— 30/1/2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया का खाता संख्या 127 एवं खसरा नम्बरान 2249 रकबा 0.54 हैक्टेयर वाके ग्राम म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है जिसमें वादिया का हिस्सा 15/28 है जो सामलाती में ही काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादिया का हिस्सा 15/28 खसरा नम्बरान 2249 में हिस्सा 0.2892 जो वादिया प्रतिवादीगण के सामलाती में ही काश्त करती चली आ रही है। यहकि वाद पत्र के विवरण नं. 01 में आराजी को वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। यहकि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के विवरण नं. 01 के शामिल आराजीयात का बंटवारा नहीं हुआ है। किन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है और उन्होंने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादीया को उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा करने लग गये है तथा आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही वाद पत्र के विवरण नं 1 के शामिल आराजीयात के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने पर आमादा है तथा आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जिसका उनको कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। यहकि दिनांक 18/10/2024 को वादीया अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि की देखरेख कर रही थी, इतने में ही प्रतिवादीगण एकराय होकर आये तथा वादीया को उनके हिस्से में काश्त करने से मना किया तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये। इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से कहा कि हम हमारे हिस्से पर ही काश्त कर रहे है आप जबरन हमें नहीं रोक सकते। इस पर प्रतिवादीगण आग बबूला हो गये तथा वादीया को बोल गालियां देने लग गये तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये। इस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से कहा कि हक आराजीयात का कानूनी बंटवारा कर ले जिससे अपने बीच हमेशा के लिये विवाद समाप्त हो जावे तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से स्पष्ट मना कर दिया साथ ही एलानिया धमकी दी कि आप

सहायक कलक्टर

अपने हिस्से मे कब्जा काश्त नहीं करने देगे तथा आपको बेदखल करके रहेगे व अच्छी भूमि पर कब्जा करेगे तथा विशिष्ट भू भाग का किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगे तथा पक्का निर्माण कर कब्जा कर लेगें। इस पर वादीया ने बडी मुश्किल से प्रतिवादीगण को वहां से निकाला। यहकि यदि प्रतिवादीगण अपने मंसुबे मे सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं. 1 की आराजीयात का बिना कानूनी बंटवारा करवाये आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर लिया। आराजी मुतनजा के विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अंतरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति को आराजीयात के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करवा देगे तथा वादीया को बेदखल कर देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा व वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि मे नही किया जा सकेगा तथा पक्षकारो के मध्य अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी इस कारण वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 2249 / 0.54 है0 कुल किता 1 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम म्हारखुर्द पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 20 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के अनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा वादीया को उसके हिस्से में आई भूमि का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान का निर्धारण किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीया के बंटवारे में आई भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण मे दिनांक 16.10.2024 को प्रतिवादीगण की तामील प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण को उपस्थित होने हेतु न्यायहित में अवसर दिया गया। प्रकरण में दिनांक 13.11.2024 को प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया।

तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 165 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि वकील वादी प्रकरण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी हेतु निवेदन किया है। कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है एवं आराजी खसरा नंबर 2249/0.54 है0 कुल किता 1 रकबा 0.54 है0 वाकै ग्राम म्हारखुर्द पटवार हल्का म्हारखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :-

क0सं0	नाम पक्षकार	विभाजित / हिस्से में आई भूमि	कुल किता	कुल रकबा
	रेणुका यादव पुत्री कैलाशचन्द यादव हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर (यादव) निवासी कान्पुरा तहसील चौमू खातेदार	आराजी खसरा नंबर 2249/1 रकबा 0.2460 है0, 2249/4 रकबा 0.0300 है0	02	0.2760 है0
	दिनेश, महेश, रामानन्द पि0 गैन्दालाल हि0ब0हि0 3/5, मु. गंगा पत्नि गैन्दालाल हि0 1/5, सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल हि0 1/5 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	आराजी खसरा नंबर 2249/2 रकबा 0.2290 है0, 2249/5 रकबा 0.0100 है0	02	0.2390 है0
	सामलात मुताबिक जमाबंदी अनुसार	आराजी खसरा नंबर 2249/3	1	0.0250 है0
		योग	05	0.54 है0

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

[illegible]

[illegible] दिनांक 2-/-/24 को [illegible] सुनाया गया।

([illegible]) R.A.S.

[illegible]

[illegible]